

संख्या फिन-ए-सी (6)1/2020

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त (बजट) विभाग

\*\*\*

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),

हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

हिमाचल प्रदेश सरकार।

दिनांक शिमला-171002,

01, <sup>Sept</sup> अगस्त, 2020.

विषय:

अनुपूरक अनुदान मांगें वर्ष 2020-2021 हेतु प्रथम और द्वितीय आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका (Excess & Surrender Statement) को समय पर भेजने बारे।

महोदय,

बजट प्रक्रिया के अनुसार प्रथम आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिकाएं (Excess & Surrender Statement) हर वर्ष पहली दिसम्बर तक वित्त विभाग को उपलब्ध करवाई जानी अपेक्षित हैं, जिसके अन्तर्गत चालू वर्ष के पहले 6 महीनों के वास्तविक व्यय व बकाया महीनों के सम्भावित व्यय के आंकड़े दर्शाए जाने चाहिए। इसी प्रकार दूसरी आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका जिसमें चालू वर्ष के 8 महीनों के वास्तविक व्यय व शेष चार महीनों के लिए सम्भावित व्यय के आंकड़े भी वित्त विभाग में 15 जनवरी तक भेजे जाने अनिवार्य हैं क्योंकि दूसरी आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका के आधार पर ही अनुपूरक मांगें तैयार की जाती हैं। दोनों विवरणिकाओं में दर्शाए जाने वाले आंकड़े सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने सम्भावित व्यय तथा बचतों का सही आकलन करके ही वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे ताकि वास्तविक खर्चों तथा बचतों में बहुत अधिक अन्तर न पड़े।

पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आ रहा है कि अधिकतर विभागों द्वारा अपनी सम्भावित बचतों का सही आकलन किए बिना काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर ही आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण में बकाया मास के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान मांगों के अन्तर्गत अपर्याप्त अथवा अनावश्यक प्रावधान करवा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि बचतों तथा आधिक्य के उचित एवं तार्किक कारण नहीं दिए जाते तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा इन कारणों पर आपत्ति उठाई जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीन सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय के स्पष्ट निर्देश जारी करें कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका तैयार करने से पूर्व अपने खर्चों व सम्भावित बचतों का सही तरह से आकलन किया जाए ताकि मांग वास्तविकता पर आधारित हों और उसमें आधिक्य तथा बचतों के उचित एवं तार्किक कारणों का स्पष्ट तथा पूर्ण उल्लेख किया गया हो। यह भी अनुरोध किया जाता है कि जिन भी लेखा शीर्षों/मानकों में बचतें दर्शाई जा रही हैं, उनमें विभागध्यक्ष DDOs से पहले ही Surrender लेना सुनिश्चित करें क्योंकि वित्त विभाग को इन बचतों को eBudget Software में लेना होता है।

आपसे अनुरोध है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करें तथा वर्तमान वर्ष की प्रथम आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका (योजना तथा गैर योजना) दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 और द्वितीय आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका (योजना तथा गैर योजना) 15 जनवरी, 2021 तक विशेष सन्देशवाहक के माध्यम से प्रपत्र-'क' के अनुसार वित्त विभाग को भिजवाने की कृपा करें।

भवदीय,



(प्रदीप) कुमार)

उप सचिव (वित्त बजट),


हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि । दिनांक शिमला-171002,

01 <sup>Sept</sup> अगस्त, 2020.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 2 आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग तथा निदेशक (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से अक्षमों का सशक्तिकरण), हिमाचल प्रदेश, शिमला। उनसे अनुरोध है कि अनुपूरक अनुदान मांगे वर्ष 2020-2021 मांग संख्या-31 जनजातीय विकास व मांग संख्या-32 अनुसूचित जाति उप योजना का प्रस्ताव योजना व गैर-योजना वित्त विभाग को संकलित कर भेजने की कृपा करें।
- 3 समस्त सम्बन्धित सहायक वित्त-ए और वित्त-जी अनुभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002 को उपरोक्त के अनुसार अगली कार्यवाही हेतु। यदि निर्धारित समय तक सम्बन्धित विभागों उक्त विवरण प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं अपने स्तर पर इसे सम्बन्धित विभागों से मंगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- 4 महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.



(प्रदीप) कुमार)

उप सचिव (वित्त बजट),

हिमाचल प्रदेश सरकार।

